परिचायिका

PROSPECTUS

2022-23

प्रधान सम्पादक

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

कुलपति

CHIEF EDITOR

PROF. SHRI NIVASA VARAKHEDI

Vice-Chancellor

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली - ५८

(संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित)

Central Sanskrit University, Delhi - 58

Established by An act of Parliament

प्रकाशक

कुलसचिव

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

56-57, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी

नई दिल्ली-110058

Publisher

REGISTRAR

Central Sanskrit University

56-57, Institutional Area, Janakpuri

NEW DELHI-110058

Website : www.sanskrit.nic.in

© Central Sanskrit University, New Delhi

Printer

शान्तिपाठः

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:
वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: सर्वं शान्ति:।
शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि।।
यतो यत: समीहसे ततो नो अभयङ्कुरु।
शन्न: कुरु प्रजाभ्यो भयन्न: पशुभ्य:।।

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग्भवेत्।।

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।।
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:।

प्रतीक चिह्न

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतीक चिह्न में चारों ओर से घिरे हुए लाल, सफेद और काले रंग के स्तम्भ ब्रह्माण्ड के आत्मत्व गुणों-सत्त्व, रजस्, और तमस् के प्रतीक हैं। इस तरह त्रिगुणात्मक प्रपञ्च में सत्त्व और रज गुणों से परिपूर्ण विश्वविद्यालय पूर्वोक्त चारों स्तम्भों में अन्तर्वर्ती सफेद और रक्त स्तम्भ को सूचित करता है। वहीं ऊपरी भाग में **योऽनूचानः स नो महान्**[1] यह ध्येयवाक्य वेदादि विद्याओं का प्रतीकभूत है। मण्डल के बायें भाग में त्रिगुण की व्यञ्जिका लाल, सफेद और काली रेखाएँ क्षुब्धतरंग की तरह ऊपर से नीचे की ओर क्रम से बढ़ रहीं हैं। ये ब्रह्म के संयोग से क्षुब्ध प्रकृति की विश्वाकार अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है। इस अभिव्यक्ति में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के प्रचार के द्वारा व्यापनशील हो, अपनी प्रभा सर्वत्र प्रकाशित करते हुए मूलकोष्ठ में विराज रहा है, यह प्रतिपादित होता है। मण्डल के दायें भाग में पुन: त्रिगुण और तीन वर्णों वाली रेखाएँ अधः उर्ध्व क्रम से अपने लक्ष्यभूत प्रज्ञान को ब्रह्म के प्रति जाने के इच्छुक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का लक्ष्य प्रतिपादित करती हैं। केन्द्र में सूर्याभिमुख पुष्प केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ऋतानुकूलस्वभावत्व (सत्य के अनुकूल स्वभाव के अनुरूप) को बताता है। पुष्पवृन्त में लगा पत्रयुगल अभ्युदय-नि:श्रेयसरूप धर्म के तत्त्व को बताता है। पुष्प के अन्तर्वर्ती मध्यभाग में CSU (Central Sanskrit University) नामक अंग्रेजी लिपि का अक्षर मुकुलित पद्म की तरह अविकसित से विकसित स्वरूप तक ले जाने का प्रतीक है।

---

1 **न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः**
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥ (महाभारत-शल्यपर्व 50.40)
(मानव की महत्ता न तो उम्र से, न बाल पकने से, न धन से और न तो बन्धुवर्ग से ज्ञात होती है, अपितु ऋषिपरम्परानुसार मानव-जाति में जो अध्ययनशील (वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ) है, वह महान् है।)

दृष्टि एवं ध्येय

दृष्टि

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा की गरिमा की संस्थापना के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में उपलब्धि सुनिश्चित करना।

ध्येय

संस्कृत विद्या की समग्र शाखाओं का सर्वाङ्गीण विकास तथा आधुनिक प्रणालियों के द्वारा संस्कृत संसाधनों का उन्नयन करना।

संस्कृत, पालि तथा प्राकृत भाषाओं में इन भाषाओं के परस्पर सांस्कृतिक अन्त:सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण व अनुसन्धान का व्यवस्थापन करते हुए भाषिक विविधता तथा सांस्कृतिक बहुलता का उन्नयन।

इन भाषाओं की ज्ञान प्रणालियों में दार्शनिक एवं वैज्ञानिक तत्त्वों का संरक्षण एवं समुन्नयन तथा इन ज्ञान प्रणालियों का सांस्कृतिक धरोहर के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

विषय-सूची

विषय **पृष्ठ संख्या**

शान्तिपाठ

प्रतीक चिह्न

दृष्टि तथा ध्येय

पुरोवाक्

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

1. परिचय
2. उद्देश्य
3. प्रशासन
4. प्रमुख कार्य

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय - प्रवेशादि विषयक सामान्य नियम

1. प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम
2. प्रवेशनिरस्ति और प्रतीक्षकों का प्रवेश
3. सुरक्षित धनराशि
4. उपस्थिति व अवकाश नियम
5. छात्रकल्याण परिषद्
6. अनुशासन
7. रैगिंग-निषेध-अधिनियम
8. छात्रवृत्ति
9. छात्रों को प्रदेय सुविधाएँ
10. छात्रावास
11. परिसर की समितियाँ
12. शैक्षिक गतिविधि तिथिपत्र (सत्र 2022-23)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसर

1. गङ्गानाथ झा परिसर, प्रयाग (उत्तरप्रदेश)
2. श्री रणवीर परिसर, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)
3. श्री सदाशिव परिसर, पुरी (उडीसा)
4. गुरुवायूर परिसर, त्रिश्शूर (केरल)
5. जयपुर परिसर, जयपुर (राजस्थान)
6. लखनऊ परिसर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)
7. राजीव गान्धी परिसर, शृङ्गेरी (कर्णाटक)
8. वेदव्यास परिसर, बलाहार (हिमाचलप्रदेश)
9. भोपाल परिसर, भोपाल (मध्यप्रदेश)
10. क.जे.सोमैया परिसर, मुम्बई, (महाराष्ट्र)
11. एकलव्य परिसर, अगरतला (त्रिपुरा)
12. श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

आवश्यक सूचना

- ❖ इस पुस्तिका में वर्णित किसी भी नियम का संशोधन/परिवर्धन या निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के अधीन होगा।
- ❖ किसी भी अनिश्चय की स्थिति में कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
- ❖ किसी न्यायिक विवाद की अवस्था में न्याय का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

1. परिचय

राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान की संस्थापना अक्टूबर, 1970 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में पूरे देश में संस्कृत के समग्र विकास तथा प्रोन्नयन हेतु हुई थी। अपने निर्माण काल से ही यह भारत-सरकार द्वारा पूर्णरूपेण प्रदत्तनिधि है। यह संस्कृत के प्रचार-प्रसार तथा विकास हेतु शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत रहा है तथा संस्कृत विद्या के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं तथा कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की सहायता करता रहा है। संस्कृत भाषा के संरक्षण, प्रसार तथा विकास और इसके सभी पक्षों की शिक्षा हेतु 1956 में भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित 'संस्कृत आयोग' की विभिन्न संस्तुतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसने एक केन्द्रीय अभिकरण के रूप में भूमिका निभाई है।

संस्थान के पारम्परिक संस्कृत शिक्षण के संवर्धन और सम्प्रसारण के क्षेत्र में योगदान, इसके श्रेष्ठ प्रकाशनों और इसके द्वारा 58,000 से भी अधिक दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के संरक्षण तथा प्रबन्धन को महत्त्व देते हुए, भारत सरकार ने इसे 7 मई, 2002 से मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, जो अधिसूचना संख्या एफ. 9-28/2000 यू 3 के अन्तर्गत है तथा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या एफ 6-31/2001 (सी.पी.पी.-1), दिनांक 13 जून 2002 से अनुगत किया गया।

विगत दशकों में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान ने अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया। फलतः भारत सरकार ने राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थान को भारत के राजपत्र सं सी.जी.-डी.एल-अ-17042020-219068 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृति प्रदान की। जिसके अनुसार राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

2. विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य -

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सुविधा प्रदान करना और ज्ञान की अन्य शाखाओं का विस्तार और प्रोन्नयन करना, अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों का विशेष रूप से प्रावधान करना; शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया

और अंतर-विषयात्मक अध्ययन और अनुसंधान में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना; संस्कृत और संस्कृत पारंपरिक विषयों के क्षेत्र में समग्र विकास, संवर्धन, संरक्षण और अनुसंधान के लिए नई पीढ़ी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

3. प्रमुख कार्य

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में कार्यरत है:

- ❖ विभिन्न राज्यों में परिसरों की स्थापना।
- ❖ माध्यमिक, पूर्वस्नातक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर परम्परागत पद्धति से संस्कृत शिक्षण तथा संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि हेतु शोध-कार्य का संचालन व समन्वयन।
- ❖ शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) तथा शिक्षाचार्य (एम.एड;) स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करना।
- ❖ उभयनिष्ठ अभिरुचि वाली संयुक्त परियोजनाओं के प्रायोजन में अन्य संगठनों से सहयोग करना।
- ❖ संस्कृत पुस्तकालयों, पाण्डुलिपि संग्रहालयों की स्थापना और दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन तथा प्रकाशन करना।
- ❖ स्वीकृत निर्धारित पाठ्यक्रम/शोध को संतोषजनक रूप से पूर्ण करके निर्धारित परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को उपाधियाँ और डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
- ❖ विजिटरशिप, फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार तथा पदकों का संस्थापन एवं उनको प्रदान करना।
- ❖ मुक्तस्वाध्यायपीठ के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-कार्यक्रमों का संचालन करना।
- ❖ संस्कृत, पालि तथा प्राकृत के प्रोन्नयन हेतु मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार की योजनाओं को केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्यान्वयित करना।

प्रवेश के नियम व पाठ्यक्रम

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था -

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है।

परीक्षा नाम	समकक्षता
शैक्षिक पाठ्यक्रम **1. प्राक्शास्त्री** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)	उत्तरमध्यमा/ उच्चमाध्यमिक/ इण्टरमीडियट
2. शास्त्री (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम/ 6 सत्रार्द्ध)	बी.ए.
3 शास्त्री प्रतिष्ठा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम/ 8 सत्रार्द्ध)	बी.ए. (ऑनर्स)
4 आचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	एम.ए.
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **5 शिक्षाशास्त्री** (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/4 सत्रार्द्ध)	बी.एड्.
6 शिक्षाचार्य (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम/ 4 सत्रार्द्ध)	एम.एड्
7 डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एकवर्षीय पाठ्यक्रम)	डिप्लोमा
7 शोध पाठ्यक्रम **विद्यावारिधि**	पी.-एच.डी.
आयु के सन्दर्भ में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के नियम अनुपालनीय होंगे।	

शैक्षिक पाठ्यक्रम

प्राक्शास्त्री

प्राक्शास्त्री में प्रवेशार्थ नियम -

1. प्राक्शास्त्री हेतु परिसर में प्रवेश के लिये मुख्यालय/संबद्ध परिसर द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें पूर्वमध्यमा परीक्षोत्तीर्ण छात्र अथवा विधिवत् स्थापित किसी बोर्ड से संस्कृत विषय लेकर सैकण्डरी या दशम कक्षा उत्तीर्ण छात्र अथवा संस्कृत विषय के बिना दशम कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा वेदभूषण उत्तीर्ण छात्र प्राक्शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सम्मिलित हो सकते हैं।
2. यह पाठ्यक्रम दो वर्षों में सम्पन्न होता है, प्रत्येक वर्ष में 6-6 पत्र होते हैं एवं एक अनिवार्य अतिरिक्त पत्र संगणक शिक्षण का होता है।
3. आयु के सन्दर्भ में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के नियम अनुपालनीय होंगे।

शास्त्री (बी.ए.)

शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -

1. उत्तर मध्यमा/प्राक्शास्त्री
2. मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत परिषद् से परम्परागत प्रणाली से उत्तीर्ण की गई इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा।
3. संस्कृत विषय सहित उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट परीक्षा।
4. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की वेदविभूषण परीक्षा।
5. शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ चुने गये भाषा/आधुनिक विषय, उत्तरमध्यमा या तत्समकक्ष पढ़े हुए होने चाहिए

शास्त्री प्रतिष्ठा (बी.ए. ऑनर्स)

शास्त्री प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

शास्त्री प्रतिष्ठा हेतु परिसर में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -

1. उत्तर मध्यमा/प्राक्शास्त्री
2. मान्यता प्राप्त किसी संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत परिषद् से परम्परागत प्रणाली से उत्तीर्ण की गई इण्टरमीडिएट समकक्ष परीक्षा।
3. संस्कृत विषय सहित उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट परीक्षा।
4. महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन की वेदविभूषण परीक्षा।
5. शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थ चुने गये भाषा/आधुनिक विषय, उत्तरमध्यमा या तत्समकक्ष पढ़े हुए होने चाहिए

आचार्य

आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम -

आचार्य पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है -

शास्त्री	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अथवा अन्य कोई संस्कृत विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था।
शिरोमणि	मद्रास विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।
विद्वद् मध्यमा	कर्नाटक सरकार, बैंगलुरु
शास्त्रभूषण	(प्रीलिमिनरी) केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम्

बी.ए. (Orintal Learning)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
बी.ए.	संस्कृत विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।

अनिवार्य विषय -

नव्यव्याकरण	प्राचीनव्याकरण	साहित्य
सिद्धान्तज्यौतिष्	फलितज्यौतिष	सर्वदर्शन
धर्मशास्त्र	जैनदर्शन	बौद्धदर्शन
सांख्ययोग	नव्यन्याय	न्यायवैशेषिक
मीमांसा	अद्वैतवेदान्त	पुराणेतिहास
वेद	पौरोहित्य	

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्री

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष (चार सत्राद्ध) के नियमित प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षाशास्त्री उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बी.ए. (संस्कृत विषय सहित) अथवा आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) या तत्समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक सहित उत्तीर्णता या समकक्ष ग्रेड।
2. अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र/छात्रा भी आवेदन कर सकते हैं।
3. केन्द्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए अन्य शर्त सहित उपर्युक्त परीक्षाओं में 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।

4. प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जाएगी।
5. इस पाठ्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रणाली का पालन सुनिश्चित किया जाता है। परम्परागत पढ़े अर्थात् शास्त्री/आचार्य उत्तीर्ण छात्रों के लिए 80 प्रतिशत तथा आधुनिक धारा के अन्तर्गत बी.ए. (संस्कृत) सहित अथवा एम.ए. संस्कृत उत्तीर्ण छात्रों के लिए 20 प्रतिशत स्थान निर्धारित हैं। परिसरीय आरक्षण भी है यथा 20 प्रतिशत परिसर छात्र एवं 30 प्रतिशत उस क्षेत्र के छात्रों के लिये।

शिक्षाचार्य (एम.एड्)

यह पाठ्यक्रम दो वर्ष (चार सत्रार्द्ध) के नियमित प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षाचार्य उपाधि के लिए संचालित होता है।

प्रवेश के सामान्य नियम

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्री या बी.एड. (संस्कृत विषय सहित) न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक सहित उत्तीर्णता या समकक्ष ग्रेड।
2. अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र/छात्रा भी आवेदन कर सकते हैं।
3. केन्द्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
4. प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात् अथवा गोपनीय परिणाम से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जाएगी।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

* **योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम**
* **वास्तुशास्त्र डिप्लोमा पाठ्यक्रम**

प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को संस्कृत विषय सहित सीनियर सेकेण्डरी (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. पठन-पाठन का माध्यम संस्कृत ही होगा।

3. चुने गए परिसरों में निर्धारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु 40 सीटें निर्धारित की गई हैं। उनमें से 30 सीटें पारम्परिक धारा के छात्रों के लिए और 10 सीटें आधुनिक धारा के छात्रों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं।

4. पाठ्यक्रम की परीक्षा वार्षिक प्रणाली से होगी।

5. पाठ्यक्रम के कोर्स में 50 अंक के 5 प्रश्नपत्र होगे।

6. 50 अंक के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 अंक सैद्धान्तिक एवं 10 अंक प्रायोगिक के लिए निर्धारित होंगें।

7. योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 90% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शुल्क एवं अन्यविध जानकारी केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट sanskrit.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुसन्धान पाठ्यक्रम

विद्यावारिधि (पी.-एच्.डी.)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्वयं अथवा अपने अन्तर्गत सभी परिसरों अथवा सम्बद्धताप्राप्त संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शोधोपाधि को विद्यावारिधि (पी-एच्.डी.) के नाम से अभिहित करता है।

पञ्जीकरण की अर्हता

1. वे सभी विद्यार्थी, जो संस्कृत के किसी भी विषय में आचार्य/एम.ए. (संस्कृत), तत्समकक्ष उपाधि, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसरों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हों तथा संयुक्त प्राक् शोध-परीक्षा में अर्हता क्रम में उत्तीर्ण हों, पञ्जीकरण के लिए आवेदन पत्र हेतु अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत विषय सम्बद्ध आचार्य परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
2. विश्वविद्यालय के परिसरों एवं अन्य महाविद्यालयों/विद्यालयों के अध्यापक अनुसन्धाता जिन्होंने आचार्य अथवा एम.ए. संस्कृत परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की है 'अध्यापक-शोधार्थी, के रूप में आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उनका नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के नियमानुसार ही होगा।
3. वे सभी विदेशी विद्यार्थी जिन्होंने भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत के किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ अथवा उसके समान श्रेणी में उत्तीर्ण की है, भारत-सरकार के विदेश-मन्त्रालय एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के माध्यम से शोध-छात्र के रूप में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा

- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शोध पञ्जीकरण हेतु प्रत्येक वर्ष विद्यावरिधि प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है।
- परीक्षा-नामांकनादि विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरिणका में देखी जा सकती है।

पञ्जीकरण की प्रक्रिया

विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा में वरीयता क्रम से अर्ह घोषित छात्र निश्चित अवधि तक शोधप्रारूप के साथ अपना आवेदन-पत्र शोध-निर्देशक द्वारा अग्रसारित कराकर सम्बद्ध परिसर में जमा करेगा। तत्पश्चात् परिसर की स्थानीय शोध समिति शोधार्थियों की तथा उनके द्वारा निर्धारित शोध-विषयों एवं शोध-प्रारूपों की समीक्षा करेगी। निदेशक उचित आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक केन्द्रीय शोध-मण्डल में विचार एवं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली को प्रेषित करेंगे। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सम्बद्ध परिसर को निर्णय की सूचना प्राप्त होने के बाद छात्र अपना प्रवेश शुल्क जमा कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगा। परिसर के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय में भी शोध कार्य किया जा सकता हैं।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित प्रमाणपत्र

1. पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं की उत्तीर्णता के विषय में विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रमाणपत्र।
2. जन्मतिथि प्रमाणपत्र (मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र) जिसमें जन्म तिथि भी प्रमाणित की गई हो।
3. चरित्र प्रमाणपत्र (पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा)।
4. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टी.सी.)।
5. निष्क्रमण प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट)।

टिप्पणी - निदेशक विशेष परिस्थितियों में किसी छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं निष्क्रमण प्रमाण-पत्र बाद में प्रस्तुत करने की छूट दे सकते हैं किन्तु उचित अवधि के अन्दर इसे प्रस्तुत न करने पर छात्र का नाम निरस्त कर दिया जायेगा।

6. पूर्व परीक्षा में प्राप्त अङ्कों की विषयानुसार अंक पत्र (मार्कशीट)।
7. क्रीडा एवं पाठ्येतर प्रवृत्तियों में प्रवीणता प्राप्ति का प्रमाण-पत्र (यदि हो तो)।

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ उपयुक्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां अवश्य संलग्न करनी चाहिये। प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र मांगने पर दिखाएं। अस्पष्ट एवं असत्यापित प्रमाण पत्रादि प्रवेशार्थ स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

परिधान

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य को छोडक़र शेष छात्र-छात्राओं के लिए सादे परिधान का नियम है। शिक्षाशास्त्री/शिक्षाचार्य के छात्र-छात्राओं हेतु परिधान संबंधित परिसर के विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित होगा।

प्रवेश निरस्तीकरण और प्रतीक्षकों का प्रवेश

जो छात्र प्रवेश स्वीकृत हो जाने पर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं यथासमय पूर्ण नहीं करेंगे उनके नाम प्रवेश सूची से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये छात्रों को वरीयता क्रम से प्रवेश दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची में जो छात्र प्रवेश के वरीयताक्रम में प्रवेश योग्य होंगे उन्हें भी निर्धारित समय पर प्रवेश सम्बन्धी सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रवेश लेना होगा।

विशेष सूचना -

(क) आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रादि में कोई भी असत्य सूचना देने पर और केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कमी होने पर आरम्भ में प्रवेश हो भी गया हो तो भी बिना कारण बताये उस छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके लिए विश्वविद्यालय का कोई भी दायित्व नहीं होगा।

(ख) इन नियमों में तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इनसे पूर्व या समय-समय पर प्रकाशित या निर्दिष्ट नियमों में अन्तर होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट नियम अन्तिम रूप से स्वीकार्य होंगे।

सुरक्षित धनराशि

(क) यदि प्रवेश प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय परिसर छोड़कर जाता है तो उसे सुरक्षित धनराशि के अतिरिक्त लिया गया कोई भी शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।

(ख) सुरक्षित धन राशि परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद अथवा सत्रावसान पर ही लौटायी जायेगी। यदि कोई छात्र बीच में उक्त राशि को वापस लेगा तो उस छात्र का प्रवेश निरस्त हो जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में उस छात्र का पुन: प्रवेश नहीं होगा।

उपस्थिति व अवकाश नियम

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्र की नियमित उपस्थिति आवश्यक है। बिना लिखित प्रार्थना-पत्र के लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थिति रहने पर छात्र का नाम विश्वविद्यालय से निरस्त कर दिया जायेगा। किन्तु निदेशक अनुपस्थिति के कारणों से सन्तुष्ट होने पर पुन: प्रवेश भी कर सकेंगे। उस स्थिति में छात्र को पुन: प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा।

प्राक् शास्त्री, शास्त्री व आचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिये एक शिक्षासत्रार्द्ध (सत्रार्द्ध परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में) में छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् छात्र को एक शिक्षा सत्र/शिक्षासत्रार्द्ध में कुल व्याख्यान दिवसों का अधिकतम 25 प्रतिशत अवकाश दिया जायेगा। यह अवकाश निदेशक की पूर्व अनुमति से निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृत होगा -

1. सम्बिन्धत विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर बिना चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के एक शैक्षिक सत्र में एक बार केवल 10 दिनों तक का अवकाश।

2. एक शैक्षिक सत्र में पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा छात्र की अस्वस्थता के प्रमाण-पत्र के आधार पर 20 दिनों का चिकित्सकीय अवकाश।

विशेष: उपर्युक्त दोनों प्रकार के अवकाश का लाभ पूर्ण शैक्षिक सत्र की दृष्टि से है न कि सत्रार्द्ध की दृष्टि से। यदि किसी शैक्षिक सत्र के प्रथम सत्रार्द्ध में पूर्वोक्त पूर्ण अवकाशों का लाभ प्राप्त कर लिया हो तो अग्रिम सत्रार्द्ध में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा।

3. शिक्षाशास्त्री व शिक्षाचार्य परीक्षा में प्रवेशार्हता के लिए एक सत्रार्द्ध में सैद्धान्तिक पत्र में 80% व प्रायोगिक कार्य में 90% उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात् विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर निदेशक द्वारा सैद्धान्तिक पत्रों में अधिकतम 20% व प्रायोगिक कार्य में अधिकतम 10% अवकाश दिया जायेगा। ऐसे छात्रों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होगा।

परीक्षा के सन्दर्भ में उपस्थिति में छूट

1. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विशेष परिस्थिति में एक शैक्षिक सत्र में एक बार उपस्थिति प्रतिशत में 5% की छूट दे सकते हैं। परन्तु इसके लिए संबद्ध परिसरों/ महाविद्यालयों/ आदर्श विद्यापीठों के निदेशक छूट देने हेतु वैध कारणों को दर्शाते हुए संबद्ध छात्रों के मामले कुलपति को अग्रसारित करेंगे।

2. एक परिसर से दूसरे परिसर अथवा एक महाविद्यालय से अन्य महाविद्यालय/परिसर में स्थानान्तरित होने वाले छात्रों की पिछली संस्थाओं में उपलब्ध उपस्थिति की अपेक्षित उपस्थिति की प्रतिशत गणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

3. उपर्युक्त सभी नियमों के लागू होने पर भी कोई छात्र जो विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका है, अथवा निष्कासित हुआ है अथवा किसी भी एक अवधि के लिए परीक्षा के अयोग्य पाया गया है, तो इसे विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

4. वांछित उपस्थिति के पूर्ण होने पर कोई छात्र बीमारी के कारण वार्षिक/सत्रार्द्ध परीक्षा में बैठने में असमर्थ होता है तो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित करने पर वह अगले वर्ष की परीक्षा में पूर्वछात्र के रूप में बैठ सकता है। अगले वर्ष वह अध्ययनार्थ कक्षाओं में उपस्थित हो सकता है किन्तु वह नियमित छात्र नहीं माना जायेगा और छात्रवृत्ति का अधिकारी नहीं होगा।

छात्र-कोष

छात्रकोष का प्रबन्ध एक समिति के अधीन है। परिसर के निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा इसमें एक अध्यापक छात्र कल्याण अधिकारी के रूप में रहेंगे। कक्षाओं में प्रवेश के समय बनी योग्यता सूची में से सभी कक्षाओं से एक-एक सर्वप्रथम स्थान प्राप्त छात्र समिति के सदस्य होंगे। छात्र कोष के मद के साथ लिया गया धन किसी बैंक में रखा जायेगा। एकाउन्ट का संचालन निदेशक एवं अनुभाग अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। परिसर के अन्य धन सम्बन्धी मदों के समान छात्रकोष का भी लेखा निरीक्षण करवाया जायेगा।

छात्र कल्याण परिषद्

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में नियमानुसार 'छात्र कल्याण परिषद्' कार्य करेगी। परिषद् में योग्यताक्रम से प्रत्येक कक्षा से पूर्व परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त छात्र प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होंगे।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का प्रमुख सिद्धान्त है कि इसका आयोजन छात्रों के परस्पर सहयोग से होता है। साथ ही छात्रों एवं अध्यापकों की समाज सेवा के प्रति परस्पर सहभागिता देश के विकास की दिशा में गहन अनुभूति कराएगी। एतदर्थ विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक संयोजक एवं एक सह संयोजक के नेतृत्व में एक-एक इकाई स्थापित होगी।

अनुशासन

प्रत्येक छात्र-छात्रा को विश्वविद्यालय परिसर के गौरव को बढ़ाने के लिए सद् आचरण से रहना होगा। पान, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ खाना वर्जित है। विश्वविद्यालय की सभी शैक्षणिक प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य है। परिसर के भवन, फर्नीचर आदि को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाये जाने पर छात्र का नाम परिसर से निरस्त किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति राशि छात्र से ली जायेगी।

आचार संहिता

आचार संहिता परिसर के सभी छात्र अनुशासन के समस्त नियमों का सख्ती से पालन करेंगे -

1. छात्रों को आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी चाहिए।
2. छात्रों को किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उन्हें यथोचित दण्ड दिया जायेगा। छात्रों द्वारा अत्यन्त गम्भीर दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर/प्रमाणित होने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा पर छात्र को विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है।
3. कोई छात्र यदि परिसर की सम्पत्ति का क्षति करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की भरपाई के लिए वह जिम्मेदार होगा।
4. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। उन्हें ऐसी किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने से सख्त मना किया जाता है, जो परिसर की गरिमा के विपरीत हो।
5. परिसर में स्वयं या उनके द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर परिसर की अनुशासन समिति उस छात्र को दण्डित कर सकती है।
6. अनुशासन समिति की अनुशंसा पर निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. परिसर में कालांश के समय छात्रों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग सर्वथा वर्जित है।

रैगिंग निषेध अधिनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम-6.3 (क) दिनांक 17 जून, 2009 के अनुसार परिसरों में रैगिंग दण्डनीय अपराध है।

रैगिंग में निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं -

1. रैगिंग हेतु उकसाना।
2. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
6. शरीर को चोट पहुँचाना।
7. गलत ढंग से रोकना।
8. आपराधिक बल प्रयोग।
9. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
10. बलात् ग्रहण।
11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
12. सम्पत्ति से सम्बिन्धत अपराध।
13. आपराधिक धमकी।
14. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
15. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बिन्धत सभी अपराध।

रैगिंग के अन्तर्गत आने वाले कार्य

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे -

क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।

ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।

ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो सह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे छात्र में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।

ड़ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ शारीरिक शोषण को कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहँुचे।

ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

ञ रैगिंग निषेध संपर्क हेतु टोल फ्री नं0 - 1800-180-5522

दूरभाष संख्या - 09871170303, 09818400116 (केवल अत्यावश्यक संदर्भ में)

बेवसाईट www.antiragging.in

संस्थाध्यक्ष द्वारा रैगिंग विरोधी की जाने वाली कार्यवाही -

रैंगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी व्यक्ति के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए या रैगिंग से सम्बिन्धत विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं-

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही -

रैगिंग निषेध अधिनियम-2009 के नियम 9.1 (ख) के अनुसार रैगिंग में संलिप्त छात्र/छात्रा के लिए निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान हैं।

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा :-

क. रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख. रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।

1. कक्षा में उपस्थिति होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन।
2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना।
3. किसी टेस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थिति होने से वंचित करना।
4. परीक्षाफल रोकना।
5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
6. छात्रावास से निष्कासित करना।
7. प्रवेश रद्द करना।
8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासन करना।
9. विश्वविद्यालय परिसर से निश्चित अवधि तक निष्कासन करना।
10. रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भडक़ाने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके तो विश्वविद्यालय सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।

ग. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जा सकेगी

1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/विद्यालय होने पर कुलपति से।
2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से।
3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार।

छात्रवृत्ति

उद्देश्यः- विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

छात्रवृत्ति की पात्रता -

(क) विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) छात्रवृत्ति की अर्हता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। शिक्षा-शास्त्री में प्रविष्ट छात्रों के गत परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिये।

(ग) छात्रवृत्ति वरीयता क्रम से दी जायेगी। जिन छात्रों को पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई है उनके लिए पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष तक छात्रवृत्ति चालू रहेगी, यदि वे प्रत्येक वर्ष में उत्तीर्ण होते हुए योग्यता क्रम में आयेंगे। जो छात्र किसी विषय या प्रश्न पत्र में प्रोन्नत किये जाते हैं या पूरक परीक्षा के लिए रह गये हैं, उनके शेष वर्षों में उनको छात्रवृत्ति देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(घ) छात्रवृत्तियाँ शेष हों तो द्वितीय या तृतीय वर्ष के योग्यता क्रम में आने वाले उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है जिनको पूर्व वर्ष या वर्षों में छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।

छात्रवृत्तियों की संख्या

विश्वविद्यालय के बजट में प्रावधान होने एवं पाठ्यक्रमों के चलते रहने पर प्रतिवर्ष निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होंगी -

(क)	प्राक्-शास्त्री	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ख)	शास्त्री/शास्त्री ऑनर्स	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ग)	शिक्षाशास्त्री	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(घ)	आचार्य	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(ङ)	शिक्षाचार्य	निर्धारित स्थानों में से 60 प्रतिशत छात्रों को
(च)	विद्यावारिधि	30 छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष

छात्रवृत्ति प्रदान करने के नियम

(क) छात्रवृत्ति छात्र की शैक्षणिक प्रगति, अच्छे आचरण एवं नियमित उपस्थिति पर निर्भर करेगी।

(ख) वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ग) प्रत्येक वर्ष या पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए नवीन चुनाव किया जायेगा। छात्रवृत्ति पाने वाले जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है या किसी खण्ड में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको अग्रिम वर्ष या पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति योग्यता क्रम से दी जायेगी।

(घ) इन नियमों के अन्तर्गत किसी भी छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को किसी अन्य स्थान से छात्रवृत्ति वेतन या पारिश्रमिक पाने की छूट नहीं होगी। इस तरह की किसी भी वृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व उसे वह वृत्ति छोड़नी होगी और यदि कोई धन प्राप्त किया हो तो वह वापस करना होगा। वर्ष भर में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि के बराबर से कम तक कोई छात्र नकद या किसी अन्य रूप में आकस्मिक पुरस्कार प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति पाने के अयोग्य नहीं होगा। इसी प्रकार छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क शिक्षा, स्वाध्याय हेतु छात्रवास, पुस्तकें एवं यातायात सुविधा (छूट) प्राप्त करने की अनुमति भी होगी।

छात्रवृत्ति की राशि

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति की राशि (मासिक) निम्नलिखित है -

1.	प्राक्-शास्त्री	600 रू.
2.	शास्त्री	800 रू.
3.	शिक्षाशास्त्री	800 रू.
4.	आचार्य	1000 रू.
5.	शिक्षाचार्य	1000 रू.
6.	विद्यावारिधि	8000 रु. एवं प्रतिवर्ष 8000 रू. सांयोगिक राशि।

टिप्पणी:- सांयोगिक धनराशि शोध छात्र द्वारा प्रस्तुत व्यय-विवरण के आधार पर प्रदान की जायेगी। शोधच्छात्र यह धनराशि पुस्तक-क्रय, शोध-सम्बन्धी यात्रा, लेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्यों में व्यय कर सकता है।

छात्रवृत्ति की राशि को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय कम या अधिक किया जा सकता है।

छात्रवृत्ति की प्राप्ति और उसको जारी रखने के लिए प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति और विश्वविद्यालय के अनुशासन का सर्वथा पालन अनिवार्य है। किसी भी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्थगित या निरस्त की जा सकेगी।

छात्रवृत्ति के लिए चयन की प्रक्रिया

जिस कक्षा में छात्र ने प्रवेश लिया हैं, उसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को निर्धारित आवेदन पत्र भर कर निदेशक की सेवा में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, छात्रवृत्ति नियमों के आधार पर योग्यता क्रम से निदेशक छात्रवृत्ति स्वीकृत करेंगे।

अवधि -

(क) सामान्यतया छात्रवृत्ति की अवधि एक सत्र में 10 माह की होगी।

(ख) शोध छात्रवृत्ति सामान्यत: दो वर्ष (24 माह) के लिए होगी।

(ग) छात्रवृत्ति की अर्हता होने पर छात्रवृत्ति की अवधि पाठ्यक्रम के प्रथम या द्वितीय वर्ष (जैसी परिस्थिति हो) की पूर्व से लेकर अन्तिम तक होगी।

(घ) जो छात्रवृत्ति एक बार निरस्त कर दी जायेगी, वह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना पुन: प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(ङ) उत्तम आचरण तथा नियमित उपस्थिति छात्रवृत्ति को जारी रखने की प्राथमिक शर्ते हैं। किसी मास में किसी कक्षा तथा प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी, जब तक वह उपस्थिति की कमी को पूर्ण कर 75 प्रतिशत तक उपस्थिति नहीं कर लेता। छात्र की उपस्थिति पूर्ण होने पर भी 30 दिन से अधिक निरन्तर अनुपस्थिति पर उस अवधि की छात्रवृत्ति निरस्त हो जायेगी। ऐसे छात्र को 10 माह की अवधि में से अनुपस्थिति के समय को काटकर शेष समय की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

भुगतान

छात्रवृत्ति का भुगतान विश्वविद्यालय से वित्तीय स्वीकृति और राशि मिलने पर ही किया जा सकेगा। सामान्यत: उपस्थितियों के आधार पर छात्रवृत्ति समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्ति के भुगतान का आदेश प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक द्वारा किया जायेगा। प्रवेश या वास्तविक उपस्थिति की तिथि से जो तिथि बाद में होगी, उसी तिथि से छात्रवृत्ति प्रारम्भ होगी।

शोध-छात्रवृत्ति

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने प्रत्येक परिसरों में कुल मिलाकर 30 शोधच्छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। कुलपति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किसी परिसर की विशेष परिस्थिति के आधार पर आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार से छात्रवृत्ति की संख्या में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आचार्य/एम.ए. (संस्कृत) में 60 प्रतिशत परिणाम की वरीयता-क्रम-सूची के आधार पर विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक परिसर के हर एक विभाग में प्रथमत: एक-एक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

छात्रवृत्ति की अवधि-

शोध छात्रवृत्ति की अवधि 24 माह के लिए निश्चित होगी। किन्तु मार्गनिर्देशक एवं स्थानीय-शोध-समिति की अनुशंसा पर यह छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त 12 माह के लिए बढ़ायी जा सकती है।

छात्रवृत्ति भुगतान -

छात्र के पञ्जीकरण के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय की संस्तुति पर परिसरों के माध्यम से छात्रवृत्ति आरम्भ की जायेगी। इस अवधि में विश्वविद्यालय से छात्रवृत्तिप्राप्त शोध-छात्र किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति/वेतन प्राप्त नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसे अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा छात्र का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में छात्र को परिसर से प्राप्त की गई समस्त छात्रवृत्ति भी वापस करनी होगी। परिसर की अनुशासनमिति अनुचित आचरण करने वाले छात्र के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही कर विश्वविद्यालय से उसकी छात्रवृत्ति समाप्त कर सकती है। अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति होने पर शोधच्छात्र का पंजीकरण भी स्थानीय शोधसमिति की अनुशंसा पर निरस्त किया जा सकता है।

छात्रों को प्रदेय सुविधाएं

रेलवे रियायती यात्रा की सुविधा

परिसर में पंजीकृत समस्त छात्रों को पूजावकाश, शीतावकाश एवं ग्रीष्मावकाश के अवसर पर अपने गृहनगर जाने तथा परिसर वापस आने के लिए रेलवे द्वारा किराये में छूट दी जाती है। ग्रीष्मावकाश में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को केवल घर जाने की सुविधा दी जायेगी। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा आवेदन करने पर कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रपत्र निर्गत किये जाते हैं। यात्रा आरम्भ से एक सप्ताह पहले आवेदनपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

अवधेय है कि रेलवे के नियमानुसार यह छूट केवल 25 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को ही उपलब्ध है किन्तु शोध छात्र के लिए अवकाश अथवा गृहनगर का बन्धन नहीं है। वे अपने शोध निर्देशक की संस्तुति पर शोध कार्य करने के लिए किसी भी समय भारत के किसी भी नगर की रेलवे छूट पर यात्रा कर सकते हैं।

ग्रन्थालय सुविधा

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में सुसमृद्ध तथा विशाल ग्रन्थालयों की सुविधा विद्यमान है। इनमें प्राच्य विद्या तथा संस्कृत शास्त्रों के दुर्लभ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। नियमित रूप से जर्नल तथा पत्रिकाएँ इनमें आती रहती हैं।

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित पुस्तकालय नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित करेंगे।

प्रयोगशाला सुविधा

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में प्रयोगशालाओं की सुविधा है। प्रमुख रूप से कम्प्यूटर प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षणिक तकनीकी प्रयोगशाला, कार्यानुभव प्रयोगशाला तथा भाषा शिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि प्रयोगशालाएँ प्राय: सभी परिसरों में उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित प्रयोगशाला नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने प्रयोगशाला में प्रदर्शित करेंगे।

व्यायामशाला सुविधा

विश्वविद्यालय के अधिकांश परिसरों में छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायामशाला (जिम) की सुविधा है, जहाँ आधुनिक व्यायाम यन्त्रों, डम्बल एवं वेटप्लेट इत्यादि के द्वारा छात्र प्रात: एवं सायंकाल निश्चित समयानुसार शारीरिक अभ्यास करते हैं। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित व्यायामशाला नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने व्यायामशाला में प्रदर्शित करेंगे।

छात्रावास

विश्वविद्यालय के प्राय: सभी परिसरों में पुरूष एवं महिला छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों को निर्धारित छात्रावास नियमों का पालन करना होगा जिन्हे सभी परिसर अपने-अपने छात्रावास में प्रदर्शित करेंगे।

परिसर की समितियाँ

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में वार्षिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रमुखत: निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिसर द्वारा कुछ उपसमितियों का गठन भी किया जा सकता है।

1. प्रवेश समिति
2. अनुशासन समिति
3. छात्रावास समिति
4. पुस्तकालय समिति
5. शैक्षिक समिति
6. सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं कला समिति
7. छात्रवृत्ति समिति
8. परीक्षा समिति
9. पत्रिका प्रकाशन समिति
10. रैगिंग निषेध समिति
11. अध्यापक-अभिभावक परामर्श समिति
12. योजना, परियोजना एवं विकास समिति
13. क्रय-विक्रय, नीलामी, प्रिंटिंग एवं फोटोग्राफी समिति
14. सत्यापन समिति (पुस्तक, स्टोर, फर्नीचर एवं स्टेशनरी आदि)
15. नि:शक्तजन सहायता प्रकोष्ठ
16. महिला उत्पीड़न निषेध समिति
17. व्यक्तित्व संवर्धन, रोजगार तथा नियोजन परामर्श समिति
18. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
19. स्थानीय शोध समिति
20. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
21. प्रेस प्रिंटिंग, विज्ञापन, सूचना प्रसारण एवं जनसम्पर्क समिति
22. पारदर्शिता एवं जागरुकता निष्पादन समिति

23. छात्र कल्याण कोष समिति
24. क्रीडा समिति
25. छात्र परामर्श केन्द्र
26. नियोजन प्रकोष्ठ
27. शिकायत निवारण समिति
28. मार्गदर्शन समिति
29. डिजिटल लर्निंग एवं निरीक्षण प्रकोष्ठ
30. एस.सी./एस.टी. सेल
31. ओ.बी.सी. सेल

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर

1. गङ्गानाथ झा परिसर, प्रयाग (उत्तरप्रदेश)

प्रकाशन :

- ❖ उशती - वार्षिक पत्रिका
- ❖ जर्नल ऑफ गंगानाथ झा परिसर

विशिष्ट उपक्रम :

- ➢ पाण्डुलिपि संग्रहालय
- ➢ माइक्रोफिल्म का डिजिटाईजेशन।
- ➢ संस्कृत के दुर्लभ मातृकाओं/ग्रन्थों का सम्पादन/प्रकाशन/अनुवाद।
- ➢ विशिष्ट कार्य (क) पाण्डुलिपि संग्रहण, (ख) संरक्षण-सूचीकरण, (ग) स्कैनिंग

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

गंगानाथ झा परिसर

चन्द्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद-211001, (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष 0532-2460957, फैक्स नं. 0532-2460956

email : principal.alld@gmail.com ॥ website : www.gnjhacampusrsks.org

2. श्रीरणवीर परिसर जम्मू (जम्मू-कश्मीर)

- **छात्रावास**
  - महिला छात्रावास
  - पुरुष छात्रावास
  - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- व्यायामशाला
- श्री वैष्णवी - वार्षिक पत्रिका
- शिक्षामृतम् - शिक्षाविभाग की वार्षिक पत्रिका
- काश्मीरशैवदर्शन परियोजना
- वेधशाला

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री रणवीर परिसर

कोट भलवाल, जम्मू-181122, जम्मू व कश्मीर

फोन नं. 0191-2623090, 2623533, टेलीफैक्स : 0191-2623090

email : ranbirjmu@gmail.com || website : www.rsksjmu.ac.in

3. श्रीसदाशिवपरिसर, पुरी (उडीसा)

- **छात्रावास**
    - महिला छात्रावास -
    - पुरुष छात्रावास -
    - भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- ज्योतिष प्रयोगशाला
- पौर्णमासी - वार्षिकी पत्रिका
- सदाशिवसन्देश - त्रैमासिकी वार्त्तापत्रिका
- समस्त विभागों की विभागीय पत्रिकाएँ

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री सदाशिव परिसर

चन्दन हजुरी रोड, पुरी-752001, उडीसा

फोन नं. : 06752-223439

email : principalpuri2009@gmail.com, website : www.rskspuri.ac.in

4. गुरुवायूर परिसर, त्रिश्शूर (केरल)

- ❖ छात्रावास
  - ➢ महिला छात्रावास - ➢ पुरुष छात्रावास -
  - ➢ भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)
- ❖ व्यायामशाला - दोनों छात्रावासों में ❖ गुरुदीपिका - वार्षिक पत्रिका
- ❖ निबन्धमाला - वार्षिक शोधपत्रिका ❖ व्याकरण व साहित्य विभागों की वार्षिक पत्रिकायें
- ❖ पी.टी. कुरियाकोस मास्टर अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्यानमाला
- ❖ विक्रय प्रकोष्ठ - अभिभावक-शिक्षकपरिषद् के सौजन्य से

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

गुरुवायूर् परिसर,

पो. पुरनाटुक्करा, त्रिश्शूर-68051, केरल

दूरभाष नं.: 0487-2307208, टेलीफैक्स : 0487-2307608

email : rss.guruvayoor@gmail.com website : sanskritguruvayoor.org

5. जयपुरपरिसर, जयपुर (राजस्थान)

❖ छात्रावास ➢महिला छात्रावास ➢पुरुष छात्रावास ➢ भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)

❖ व्यायामशाला

❖ ज्योतिष प्रयोगशाला

❖ जयन्ती - वार्षिक पत्रिका

❖ शिक्षासन्देहश: - शिक्षाविभागीय वार्षिक पत्रिका

❖ प्राकृत अध्ययन एवं शोध केन्द्र

❖ राष्ट्रीय सेवा योजना

❖ योग शिविर

❖ योग एवं आयुर्वेद साहित्य डिप्लोमा

❖ ज्योतिष एवं वास्तु परिचय पाठ्यक्रम

❖ टेनिस कोर्ट, बैडमिण्टन कोर्ट

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

जयपुर परिसर

त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर-302018, राजस्थान

दूरभाष नं.: 0141-2761115 (का.)

0141-2761236 (प्रा.) 0141-2760686

email : principaljp.in@gmail.com   Website : www.rsksjaipur.ac.in

6. लखनऊ परिसर, लखनऊ (उत्तरप्रदेश)

- **छात्रावास** ➢ महिला छात्रावास - ➢ पुरुष छात्रावास -
- व्यायामशाला
- गोमती - वार्षिक पत्रिका
- ज्ञानायनी - त्रैमासिक शोधपत्रिका
- साहित्य समाख्या - साहित्य
- भास्करोदय- वार्षिक ज्योतिष
- श्री जगन्नाथपञ्चाङ्गम्
- पालि अध्ययन व शोध केन्द्र
- षाण्मासिक प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम-पालि, प्राकृत एवं भोट (तिब्बती) भाषाओं हेतु
- पालि-प्राकृत-अनुशीलनम् - षाण्मासिकी शोध पत्रिका
- ज्योतिष परिचय पाठ्यक्रम

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

लखनऊ परिसर,

विशालखण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

फोन नं. 0522-2393748, 0522-2304724, फैक्स नं. 0522-2302993

email : rkslucknow@yahoo.com website : rkslucknowcampus.org

7. राजीवगान्धीपरिसर, शृङ्गेरी (कर्णाटक)

❖ **छात्रावास** ➢ 'शारदा' महिला छात्रावास - ➢ 'ऋष्यशृङ्ग' पुरुष छात्रावास -

शारदा प्रसाद व्यवस्था - सभी छात्र-छात्राओं हेतु श्री भारतीतीर्थ महास्वामी जी के अनुग्रह से प्रतिदिन व्यवस्था।

❖ वज्रिणी व्यायामशाला

❖ शारदा - वार्षिक पत्रिका

❖ श्री राजीवगांधी इण्टरनेशनल मेमोरियल लेक्चर

❖ श्री श्री भारतीतीर्थ महास्वामी शास्त्रार्थ सभा

❖ वाक्यार्थ परिषद

❖ वाग्वर्धिनी परिषद्

❖ स्पर्धिष्णुपरिषद्

❖ श्री शारदा विशिष्टव्याख्यानमाला

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

राजीव गाँधी परिसर,

मेणसे, शृगेरी-577139, चिक्कमलगूर (कर्नाटक)

फोन नं. 08265-250258, फैक्स नं. 08265-251763, 08265-251616 (आर.)

email : principal_rgc@hotmail.com website : www.sringericampus.ac.in

8. वेदव्यास परिसर, बलाहार (हिमाचलप्रदेश)

- ❖ **छात्रावास** ➢ महिला छात्रावास - ➢ पुरुष छात्रावास -
- ❖ परिसरीय बस व्यवस्था
- ❖ राष्ट्रिय सेवा योजना (एन.एस.एस.)
- ❖ वेदविपाशा - वार्षिक पत्रिका
- ❖ व्यासवाणी-षाण्मासिक परिसरसमाचार पत्रिका
- ❖ प्राची प्रज्ञा - आनलाईन संस्कृत पत्रिका
- ❖ महिला अध्ययनकेन्द्र
- ❖ ज्योतिष परियोजना
- ❖ विभिन्न परिषद/क्लब - वाग्वर्धिनी परिषद, सभी शास्त्रीय परिषदें, संस्कृत प्रचार मंच, छात्र परामर्श केन्द्र, पर्यावरण क्लब, मीडिया क्लब, स्वास्थ्य क्लब, कलारंजनी।

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

श्रीवेदव्यास परिसर

गरली, बलाहार, काँगड़ा - 177108, (हिमाचल प्रदेश)

दूरभाष/फैक्स 01970-245409

email : principal.garli@gmail.com website : rsksbalahar.ac.in

9. भोपाल परिसर, भोपाल (मध्य प्रदेश)

छात्रावास ➢ 'दाक्षी' महिला छात्रावास ➢ 'कविभास्कर' पुरुष छात्रावास

- ❖ भूवभूति प्रेक्षागार
- ❖ भरतरङ्खमण्डप-मुक्ताकाशमञ्च
- ❖ हरिवासम्-कर्मचारी आवास
- ❖ सुदामा अतिथि निवास
- ❖ व्यायामशाला
- ❖ राष्ट्री - वार्षिकपत्रिका
- ❖ शास्त्रमीमांसा - शोधपत्रिका
- ❖ भोजराजपञ्चाङ्ग
- ❖ विभागीयपत्रिका - 6

1. व्याकरणमीमांसा - व्याकरण
2. साहित्यमीमांसा - साहित्य
3. ज्योतिषमीमांसा - ज्योतिष
4. शैक्षिकप्रबन्धनस्य विविधायामा: - शिक्षाशास्त्र
5. जैनदर्शनमीमांसा - जैनदर्शन
6. मीमांसीका - आधुनिकविषय

- ❖ नाट्यशास्त्र केन्द्र
- ❖ संस्कृतशिक्षानुसन्धान सर्वेक्षण परियोजना

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

भोपाल परिसर,

संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल-462043 (म.प्र.)

दूरभाष 0755-2418043, फैक्स नं. 0755-2418003

email : rsks_bhopal@yahoo.com website : rsksbhopal.ac.in

10. क.जे.सोमैया परिसर, मुम्बई (महाराष्ट्र)

- छात्रावास ➢ परिसर द्वारा महिला व पुरुष छात्रावास
- विद्यारश्मि: विद्यापीठ वार्षिक शोध पत्रिका
- विद्याश्री: - विद्यापीठ वार्षिक पत्रिका
- वाग्वैब्रह्म-व्याकरण विभागीय वार्षिक पत्रिका
- काव्यलतिका- साहित्य विभागीय वार्षिक पत्रिका
- शिक्षारश्मि:- शिक्षाशास्त्र विभागीय वार्षिक पत्रिका
- ज्योतिषरश्मि: -ज्योतिष विभागीय वार्षिक पत्रिका
- वैभाषिकी - आधुनिक विषय विभागीय वार्षिक पत्रिका

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संकृत विश्वविद्यालय

क. जे. सोमैया परिसर,

सुरूचि भवन, प्रथम तल, विद्याविहार (पू.), मुम्बई - 400 077, (महाराष्ट्रम्)

दूरभाष 022-21025452/82,

email : rsksmumbai@yahoo.co Website: www.rsksmumbai.in

11. एकलव्य परिसर, अगरतला (त्रिपुरा)

- छात्रावास
  - महिला छात्रावास
  - पुरुष छात्रावास

- व्यायामशाला
- एकलव्या- शोधपत्रिका
- शैक्षिकपत्रिका- शोधपत्रिका शिक्षाशास्त्रविभागस्य
- व्याकरण परियोजना
- ज्योतिषपरियोजना
- ई. ग्रन्थालयपरियोजना
- ई. टेक्स्ट-परियोजना

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

एकलव्य परिसर

ओल्ड आई.ए.एस.ई. बिल्डिंग, निकट बुद्धमन्दिर, राधानगर बस स्टैण्ड,

अगरतला - 799 006 (त्रिपुरा)

दूरभाष 0381-2907855 फैक्स नं. 0381-2907859

email : eklavyacampus.rsks@gmail.com Website :

www.ekalavyacampusrsks.in

12. श्रीरघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

❖ **छात्रावास**
- ➢ महिला छात्रावास
- ➢ पुरुष छात्रावास

भोजनालय व्यवस्था (दोनों छात्रावासों में)

❖ शैक्षिकपत्रिका - रघुनाथकीर्तिपताका ❖ वार्षिक शोधपत्रिका - देवभूमि सौरभम्

❖ त्रैमासिक वार्तापत्रिका - रघुनाथवार्तावली

पता एवं दूरभाष संख्या :

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

श्रीरघुनाथकीर्ति परिसर,

देवप्रयाग, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड - 249 301

दूरभाष 09412949976

email : raghunathkirticampus.rsks@gmail.com Website : www.srkcampus.org

Reservation in CSU

The Central Sanskrit University is one of the prestigious universities when it comes to the content and quality of education in India. All the students across the country want to get admission in this University. But taking admission in this University shall be easy if you belong to a reserved category in CSU. Read the entire article to know about **reservation in CSU.**

RESERVATION

Scheduled Caste	=	15% of total intake in each course
Scheduled Tribe	=	7 ½ % of total intake in each course
Other Backward Classes	=	27% of total intake in each course

(i) **Persons with Disabilities (PWD) quota in DU =3%** of total intake (1% each for the persons with low vision or blindness, hearing impaired and locomotor disability or cerebral palsy (interchangeable in case of non-availability of candidates in the sub-categories).

(ii) **Children/Widows of the eligible Armed Forces Personnel reservation in DU**

(CW Category) =5% of the seats in each course.

(iii) **Foreign Nationals=5%** seats in each course in Departments/ Colleges for admission under **reservation in CSU**